कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 9752 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2023 रायपुर, दिनांक **09 अक्टूबर 2023**

/ / सूचना / /

प्रवेश वर्ष 2023 छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में संचालित स्नातक फिजियाथेरेपी पाठ्यक्रम **(BPT)** में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन निम्नानुसार दिनांक तक कर सकते हैं।

स्नातक फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम **(BPT)** में प्रवेश हेतु **NEET** में सम्मिलित सभी अभ्यर्थी पात्र हैं, तथा इस पाठ्यक्रम हेतु कोई न्यूनतम अर्हताकारी अंक **(Minimum Qualifying Marks)** नहीं है :–

ऑन–लाईन आवेदन शुल्क :–

1. **अनारक्षित श्रेणी (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु – रू. 1000/– (रू. एक हजार मात्र)**
2. **अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जनजाति (SC) श्रेणी हेतु – रू. 500/– (रू. पांच सौ मात्र)**
3. **अप्रवासी भारतीय नियतांश (NRI) हेतु – रू. 10000/– (रू. दस हजार मात्र)**

(नोट : ऐसे ऑनलाईन आवेदक जिन्होनें पूर्व में प्रवेश वर्ष 2023 में MBBS / BDS में ऑनलाईन आवेदन किया है, को पुनः ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।)

ऑन–लाईन आवेदन प्रारंभ तिथि:– दिनांक 10 अक्टूबर 2023, समय 02:00 PM (14:00 Hrs)

से

ऑन–लाईन आवेदन अंतिम तिथि:– दिनांक 15 अक्टूबर 2023, समय 05:00 PM (17:00 Hrs)

तक

ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर अभ्यर्थियों को केवल **एक बार Reset Application** करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों द्वारा **Reset Application** का चयन करने पर ***पुराना Online Application फॉर्म शून्य (Cancel) हो जायेगा एवं आवेदक नया Online Application भर सकेंगे।***

Reset Application शुल्क रू. 1000/–**(रू. एक हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा करना होगा।

09/10/2023

क्रमशः—2—

नोट :–

1. प्रवेश प्रकिया नियत हेतु, ''छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (*फिजियोथेरेपी*) स्नातक प्रवेश नियम, 2018'' का अवलोकन करें।
2. ऑनलाईन आवेदन प्रकिया, काउंसिलिंग, आबंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट **www.cgdme.in** का नियमित अवलोकन करें।
3. शासकीय एवं निजी फिजियोथेरेपी महाविद्यालय में आबंटन छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

03/10/2023

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.